राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकःप.9(3)शिक्षा–5/ऑनलाईन मान्यता/2017 जयपुर, दिनांकः 17.03.2017

निदेशक
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– वर्ष 2016–17 में गैर–सरकारी विद्यालयों को दी जा रही मान्यता को तत्काल प्रभाव से रोके जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्ष 2017–18 के लिए गैर–सरकारी विद्यालयों को दी जाने वाली नवीन मान्यता/क्रमोन्नति व अन्य मान्यता का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मान्यता हेतु आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारम्भ की जानी है। इस स्थिति को देखते हुए वर्ष 2016–17 के लिए ऑन लाइन मान्यता के कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाता है। अब किसी भी विद्यालय के निरीक्षण हेतु दल का गठन या इससे पूर्व किये जाने वाले अन्य कार्य नहीं किये जायेंगे। वर्ष 2016–17 में दी जाने वाली मान्यताओं के संबंध में निरीक्षण दल के गठन के बाद का यदि कोई कार्य यथा संस्था के निरीक्षण के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन को अपलोड करना, अपलोड किये जा चुके निरीक्षण प्रतिवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित करना इत्यादि, कार्य लम्बित है तो उसे पोर्टल पर दर्ज करने के लिए दिनांक 25.03.2017 तक का समय दिया जाता है। इसके बाद मान्यता सम्बन्धी कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।

वर्ष 2016–17 में दी गई केवल वही मान्यता वैद्यानिक मानी जायेंगी जिससे सम्बन्धित आवश्यक सूचना प्राइवेट स्कूल वेबपोर्टल के मान्यता मॉड्यूल पर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर जारी की गई हैं। यदि कोई मान्यता वेबपोर्टल पर बिना आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण किये जारी की जाती है अथवा उसकी सूचना इस पोर्टल पर दर्ज नहीं है तो वह मान्यता वैद्यानिक नहीं मानी जायेगी तथा ऐसी मान्यता को जारी करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(उमा शंकर त्रिपाठी)
वरिष्ठ शासन उप–सचिव
शिक्षा ग्रुप–5

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को देकर लेख है, कि उक्त आदेश के अनुक्रम में वेबपोर्टल पर व्यवस्था करवाने का श्रम करें।
3. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप–सचिव